पर्चा डिक्री

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं0 : 110/2013

अनवान :

1. रोशनी पत्नि स्व0 महावीर जाति जाट निवासी गांव नेठराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ (राज0)

– वादीया

बनाम

1. राजकुमार पुत्र देवीलाल जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ (राज0)
2. कृष्णा पुत्री स्व0 महावीर पत्नी छोटू जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा हाल गांव फूलकां तहसील व जिला सिरसा।
3. रामी पुत्री स्व0 महावीर पत्नी जगदीश जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा हाल गांधीबडी तहसील भादरा।
4. विमला पुत्री स्व0 महावीर पत्नी विनोद कुमार जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा जिला हाल गांधीबडी तहसील भादरा।
5. सुमन पुत्री स्व0 महावीर पत्नी बलवान जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा हाल मुन्दडिया बड़ा तहसील भादरा।
6. धापा पुत्री स्व0 महावीर पत्नि नोरंग जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा हाल मुन्दडियाबडा तहसील भादरा।
7. उप पंजीयक एवं तहसीलदार राजस्व भादरा।

– प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ राजकुमार कस्वा उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादिया श्री पूनमचन्द वर्मा एवं वकील प्रतिवादी सं0 1 श्री लिलाधर अग्रवाल व प्रतिवादी सं0 2 ता 6 श्री दलवीर बैनीवाल की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादिया डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि चक नं0 4 बीआरडब्ल्यु की जमाबन्दी सम्वत् 2068 से 71 के खाता सं0 50/48 के मु0नं0 47 के किला नं0 11 की 0.253 है0 नहरी 0.215 है0 रास्ता 0.038 है0 किला नं0 12, 13, 18, 19 के प्रत्येक किला की 0.253 है0 किला नं0 20 की 0.253 है0 नहरी 0.215 है0 रास्ता 0.038 है0 किला नं0 21 की 0.253 है0 नहरी 0.215 है0 रास्ता 0.038 है0 किला नं0 22–23 प्रत्येक की 0.253 है0 और मु0नं0 52 के किला नं0 1 की 0.253 है0 नहरी 0.190 है0 खाला 0.025 है0 रास्ता 0.038 है0 किला नं0 2 की 0.253 है0 नहरी 0.228 है0 खाला 0.025 किला 3 की 0.253 है0 नहरी 0.228 है0 खाला 0.025 है0 किला नं0 8–9 के प्रत्येक किला की 0.253 है0 किलानं0 10 की 0.253 है0नहरी 0.215 है0 रास्ता 0.038 है0 किला नं0 11 की 0.253 है0 नहरी 0.215 है0 रास्ता 0.038 है0 किला नं0 12, 13, 18, 19 के प्रत्येक किला की 0.253 है0 किला नं0 20 की 0.253 है0 नहरी 0.215 है0 रास्ता 0.038 है0 किला नं0 21 की 0.253 है0 नहरी 0.215 है0 रास्ता 0.038 है0 किला नं0 22–23 के प्रत्येक किला की 0.253 है0 मु0नं0 53 के किला नं0 3 की 0.253 है0 नहरी 0.228 है0 खाला 0.025 है0 किला नं0 4 की 0.253 है0 नहरी 0.228 है0 खाला 0. 025 है0 किला नं0 5 की 0.253 है0 नहरी 0.228 है0 खाला 0.025 है0, किला नं0 6 ता 8, 13 ता 17, 24 , 25 के प्रत्येक किला की 0.253 है0 मु0नं0 59 के किला नं0 4 ता 7, 14 ता 17 के प्रत्येक किला की 0.253 है0, किला नं0 24 की 0.253 है0 नहरी 0.240

उपखण्ड अधिकारी (राज0) भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

है0रास्ता 0.013 है0 किलानं0 25 की 0.253 नहरी 0.240 है0 रास्ता 0.013 है0 मु0नं0 60 के किला नं0 1 की 0.253 है0 नहरी 0.215 है0 रास्ता 0.038 है0 किला नं0 2, 3 के प्रत्येक किला की 0.253 है0 किला नं0 8 की 0.253 है0 नहरी 0.240 है0 रास्ता 0.013 है0 किला नं0 9 की 0.253 है0 नहरी 0.240 है0रास्ता 0.013 है0 किला नं0 10 की 0.253 है0 नहरी 0.202 है0 रास्ता 0.051 है0 किला नं0 11 की 0.253 है0 नहरी 0.215 है0 रास्ता 0.038 है0 किला नं0 12, 13, 18, 19 के प्रत्येक किला की 0.253 है0 किलानं0 20 की 0.253 है0 नहरी 0.215 है0 रास्ता 0.038 है0 किला नं0 21 की 0.253 है0 नहरी 0.215 है0रास्ता 0.038 है0 किला नं0 22, 23 के प्रत्येक किला की 0.253 है0 कुल 15.686 है0 नहरी 14.977 है0 खाला 0.150 है0 रास्ता 0.559 है0 कृषि भूमि भगतराम, देवीलाल, बनवारी, रामजीलाल, बृजलाल पि0 श्रीचन्द 5/6 हिस्सा ब0हि0ब0 और वादीया एवं प्रतिवादी सं0 2 ता 6 और राजकुमार पि0मु0 महावीर के नाम 1/6 हिस्सा बहिस्साबराबर राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में से प्रतिवादी सं0 1 राजकुमार का नाम कलमजन किया जाकर वादिया 1/12 हिस्सा, प्रतिवादिया सं0 2 ता 6 प्रत्येक 1/60–1/60 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त वादिया के नाम 1/12 हिस्सा व प्रतिवादिया सं0 2 ता 6 प्रत्येक के नाम 1/60–1/60 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे एवं प्रतिवादी सं0 1 राजकुमार का नाम राजस्व रिकार्ड से कलमजन किया जावे। खर्चा उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 28/9/18 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(राजकुमार कस्वा)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ़

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं0 : 110/2013

अनवान :

1. रोशनी पत्नि स्व0 महावीर जाति जाट निवासी गांव नेठराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ (राज0)

– वादीया

बनाम

1. राजकुमार पुत्र देवीलाल जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ (राज0)
2. कृष्णा पुत्री स्व0 महावीर पत्नी छोटू जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा हाल गांव फूलकां तहसील व जिला सिरसा।
3. रामी पुत्री स्व0 महावीर पत्नी जगदीश जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा हाल गांधीबडी तहसील भादरा।
4. विमला पुत्री स्व0 महावीर पत्नी विनोद कुमार जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा जिला हाल गांधीबडी तहसील भादरा।
5. सुमन पुत्री स्व0 महावीर पत्नी बलवान जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा हाल मुन्दडिया बड़ा तहसील भादरा।
6. धापा पुत्री स्व0 महावीर पत्नि नोरंग जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा हाल मुन्दडियाबडा तहसील भादरा।
7. उप पंजीयक एवं तहसीलदार राजस्व भादरा।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 88, 188 राज0 काश्त0अधि1955
उपस्थिति : वकील श्री पूनमचन्द **: वादी**
वकील श्री लीलाधर अग्रवाल **: प्रतिवादी सं0 1**
वकील श्री दलवीर बैनीवाल **: प्रतिवादी सं0 2 ता 6**
निर्णय **दिनांक :** 28/9/18

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि चक नं0 4 बीआरडब्ल्यु की जमाबन्दी सम्वत् 2068 से 71 के खाता सं0 50/48 के मु0नं0 47 के किला नं0 11 की 0.253 है0 नहरी 0.215 है0 रास्ता 0.038 है0 किला नं0 12, 13, 18, 19 के प्रत्येक किला की 0.253 है0 किला नं0 20 की 0.253 है0 नहरी 0.215 है0 रास्ता 0.038 है0 किला नं0 21 की 0.253 है0 नहरी 0.215 है0 रास्ता 0.038 है0 किला नं0 22–23 प्रत्येक की 0.253 है0 और मु0नं0 52 के किला नं0 1 की 0.253 है0 नहरी 0.190 है0 खाला 0.025 है0 रास्ता 0.038 है0 किला नं0 2 की 0.253 है0 नहरी 0.228 है0 खाला 0.025 किला 3 की 0.253 है0 नहरी 0.228 है0 खाला 0.025 है0 किला नं0 8–9 के प्रत्येक किला की 0.253 है0 किलानं0 10 की 0.253 है0नहरी 0.215 है0 रास्ता 0.038 है0 किला नं0 11 की 0.253 है0 नहरी 0.215 है0 रास्ता 0.038 है0 किला नं0 12, 13, 18, 19 के प्रत्येक किला की 0.253 है0 किला नं0 20 की 0.253 है0 नहरी 0.215 है0 रास्ता 0.038 है0 किला नं0 21 की 0.253 है0 नहरी 0.215 है0 रास्ता 0.038 है0 किला नं0 22–23 के प्रत्येक किला की 0.253 है0 मु0नं0 53 के किला नं0 3 की 0.253 है0 नहरी 0.228 है0 खाला 0.025 है0 किला नं0 4 की 0.253 है0 नहरी 0.228 है0 खाला

अधिकारी (राजस्व) (जिला-हनुमानगढ़)

0.025 है0 किला नं0 5 की 0.253 है0 नहरी 0.228 है0 खाला 0.025 है0, किला नं0 6 ता 8, 13 ता 17, 24 , 25 के प्रत्येक किला की 0.253 है0 मु0नं0 59 के किला नं0 4 ता 7, 14 ता 17 के प्रत्येक किला की 0.253 है0, किला नं0 24 की 0.253 है0 नहरी 0. 240 है0रास्ता 0.013 है0 किलानं0 25 की 0.253 नहरी 0.240 है0 रास्ता 0.013 है0 मु0नं0 60 के किला नं0 1 की 0.253 है0 नहरी 0.215 है0 रास्ता 0.038 है0 किला नं0 2, 3 के प्रत्येक किला की 0.253 है0 किला नं0 8 की 0.253 है0 नहरी 0.240 है0 रास्ता 0.013 है0 किला नं0 9 की 0.253 है0 नहरी 0.240 है0रास्ता 0.013 है0 किला नं0 10 की 0.253 है0 नहरी 0.202 है0 रास्ता 0.051 है0 किला नं0 11 की 0.253 है0 नहरी 0.215 है0 रास्ता 0.038 है0 किला नं0 12, 13, 18, 19 के प्रत्येक किला की 0. 253 है0 किलानं0 20 की 0.253 है0 नहरी 0.215 है0 रास्ता 0.038 है0 किला नं0 21 की 0.253 है0 नहरी 0.215 है0रास्ता 0.038 है0 किला नं0 22, 23 के प्रत्येक किला की 0.253 है0 कुल 15.686 है0 नहरी 14.977 है0 खाला 0.150 है0 रास्ता 0.559 है0 कृषि भूमि भगतराम, देवीलाल, बनवारी, रामजीलाल, बृजलाल पि0 श्रीचन्द 5/6 हिस्सा ब0हि0ब0 और वादीया एवं प्रतिवादी सं0 2 ता 6 और राजकुमार पि0मु0 महावीर के नाम 1/6 हिस्सा बहिस्साबराबर राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादीया के पति की मृत्यु दिनांक 14.10.1994 में हो गई है ओर मृतक महावीर के वारिसान वादिया और महावीर की पुत्रियान प्रतिवादीया सं0 2 ता 6 है। प्रतिवादी सं0 1 वादिया की बहन का लडका है जो वादीया के जेठ देवीलाल को ब्याही हुई है। वादीया के पति की मृत्यु उपरान्त प्रतिवादीसं0 1 और उसका जेठ देवीलाल वादीया के पति की कृषि भूमि का इन्तकाल दर्ज करवाने के लिए वादीया को भादरा ले आए और वादीया को बिना बताए फर्जी तरीके से गोदनामा वादीया से लिखवा लिया। वादीया अनपढ औरत जात है जो पढना लिखना नहीं जानती है और प्रतिवादी सं0 1 व उसके पिता ने वादीया के पति के नाम दर्ज कृषि भूमि को हड़प करने के लिए फर्जी गोदनामा तैयार करवा लिया जबकि वादीया ने प्रतिवादी सं0 1 को गोद नहीं लिया है ओर अर्जीदावा की मद सं0 2 में पारिवारिक सजरा में दर्शाए अनुसार श्रीचंद की मृत्यु उपरान्त उसकी कृषि भूमि जो अर्जीदावा की मद सं0 3 में दर्ज है के विरासान हकदार भगतराम,देवीलाल, बनवारी, बृजलाल, रामजीलाल प्रत्येक 1/10–1/10 हिस्सा के हकदार है और मृतक महावीर के वारिसान में वादिया और प्रतिवादीया सं0 2 ता 6 का बहिस्सा बराबर 1/10 हिस्सा हक व हिस्सा है ओर केसरदेवी, विद्यादेवी, चन्द्रावती ओर भगवन्ती प्रत्येक का 1/10–1/10 हक व हिस्सा की भूमि को जरिये दस्तबरदारी दिनांक 21.12.2004 को अपने भाईयों भगतराम, देवीलाल, बनवारी, बृजलाल, रामजीलाल और भाभी वादिया रोशनी के हक में बहिस्साबराबर छोड़ दी। इस प्रकार श्रीचन्द ओर महावीर की मृत्यु के बाद उक्त भूमि का विरासतन हक व हिस्सा वादीया एवं प्रतिवादीया सं0 2 ता 6 का 1/10 हिस्सा बहिस्सा बराबर और वादिया का दस्तबरदारी से प्राप्त हिस्सा 1/15 हिस्सा भूमि हक व हिस्सा दर्ज होनी चाहिए थी परन्तु प्रतिवादी सं0 1 ने मृत महावीर का गोद पुत्र बताकर महावीर की कृषि भूमि में वादिया और प्रतिवादी सं0 2 ता 6 के साथ अपना नाम भी फर्जी तरीके से जुडवाकर उक्त भूमि में 1/6 हिस्सा में बहिस्सा बराबर का हक दर्ज करवा लिया। जबकि महावीर ने प्रतिवादी सं0 1 को गोद नहीं लिया था इस प्रकार प्रतिवादी सं0 1 का महावीर की उक्त कृषि भूमि में किसी प्रकार का कानूनन हक नहीं बनता है और ना ही रोशनी से फर्जी तरीके से तैयार करवाये गये खोलानामा से प्रतिवादी सं0 1 का वादीया के जीवनकाल में कोई हक व हिस्सा उक्त भूमि में बनता है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त प्रतिवादी सं0 1 ने जबाब दावा पेश किया। प्रतिवादी सं0 2 ता 6 ने वाद की सभी मदों को स्वीकार करते हुए

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) ... जिला हनुमानगढ़

जबाबदावा पेश किया। प्रतिवादी सं0 7 फोरमल पार्टी होने के कारण जबाब की आवश्यकता नहीं है।

वाद एवं प्रतिवाद के आधार पर तनकीयात कायम की गई।

1. आया कि अर्जीदावा की मद सं0 3 में दर्ज वाद भूमि में वादीया का विरासतन 1/60 हिस्सा और दस्तबरदारी से मिला 1/15 हिस्सा जो कुल भूमि के 1/12 हिस्सा की और प्रतिवादीगण सं0 2 ता 6 प्रत्येक का 1/60–1/60 हिस्सा की खातेदार काश्तकार है ?

— वादीया

2. आया कि खोलानामा को शुन्य अवैध व निरस्त घोषित करने के निर्णय व डिक्री का दावा पर क्या असर होगा ?

— वादीया

3. आया कि प्रतिवादी सं0 1 को वाद भूमि में वादीया एवं प्रतिवादीगण सं0 2 ता 6 के साथ दर्ज 1/6 हिस्सा भूमि को रहन, बैय व मुन्तकिल नहीं करने बाबत स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे ?

— वादीया

4. अनुतोष ?

साक्ष्य वादिया में पीडब्ल्यु 1 रोशनी के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबन्दी चक 4 बीआरडब्ल्यु प्रदर्श 1, 4 व सत्यप्रतिलिपि नामान्तरकरण रजिस्टर चक 4 बीआरडब्ल्यु प्रदर्श 2, 3, प्रमाणित प्रतिलिपि दस्तबरदारी प्रदर्श 5, प्रमाणित प्रतिलिपि न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश भादरा का निर्णय व डिक्री दिनांक 04.05.2015 प्रदर्श 6 व 7 प्रदर्शित करवाये।

प्रतिवादी सं0 1 की ओर से कोई मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की गई।

वादिया की ओर से लिखित बहस पेश की गई।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक वादिया की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यान पुर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादिया ने चक 4 बीआरडब्ल्यु में स्थित कृषि भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। हस्तगत प्रकरण में तीन तनकीयात कायम की गई है। तनकी वार निर्णय इस प्रकार है :–

तनकी सं0 1 व 2 : उक्त दोनों तनकीयात को साबित करने का भार वादिया पर है। चूंकि दोनों तनकीयात एक दूसरे पर आधारित है। इसलिए दोनों का निर्णय एक साथ किया जाना उचित होगा। प्रदर्श 2 नामान्तरकरण सं0 188 में दर्ज करते समय राजकुमार पि0मु0 महावीर अंकित है जिससे प्रथम दृष्टया यह जाहिर होता है कि महावीर ने राजकुमार को गोद लिया था किन्तु इस बाबत प्रतिवादी राजकुमार ने महावीर के गोद जाने का कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया है। इस प्रकार नामान्तरकरण सं0 188 की उक्त प्रविष्टि संदेहास्पद है। इसके अलावा प्रदर्श 6 व 7 न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश भादरा के निर्णय एवं डिक्री में भी प्रतिवादी राजकुमार के विरूद्ध निर्णय पारित किया गया है कि "**वादिनी द्वारा प्रतिवादी के पक्ष में निष्पादित खोलानामा दिनांक 21.07.2001 रजिस्टर्ड दिनांक 21.07.2001 उप–पंजीयक भादरा को अकृत शून्य व निष्प्रभावी घोषित किया जाता है एवं प्रतिवादी राजकुमार वादिनी**

रोशनीदेवी का दत्तक पुत्र नहीं है।'' यदि प्रतिवादी राजकुमार, रोशनी का खोलायत पुत्र मान भी लिया जाए तो भी रोशनी के जीवन काल में प्रतिवादी राजकुमार का कोई हक हिस्सा प्राप्त नहीं हो सकता है। इस प्रकार प्रतिवादी सं0 1 राजकुमार ना ही तो महावीर व रोशनी का खोलायात पुत्र है और ना ही कानूनन महावीर व रोशनी की कृषि भूमि में राजकुमार का कोई हक हिस्सा बनता है। इस स्थिति में नामान्तरकरण सं0 188 के निष्प्रभावी होने के कारण महावीर की मृत्यु के उपरान्त विरास्तन प्राप्त भूमि में वादिया रोशनी का 1/60 हिस्सा व रोशनी की पुत्रियों प्रतिवादीगण सं0 2 ता 6 प्रत्येक का 1/60–1/60 हिस्सा बनता है एवं प्रमाणित प्रतिलिपि दस्तबरदारी प्रदर्श 5 के अनुसार वादिया का दस्तबरदारी से प्राप्त भूमि में 1/15 हिस्सा बनता है। इस प्रकार वादिया कुल वाद कृषि भूमि में 1/12 हिस्सा कृषि भूमि प्राप्त कर पाने की कानूनन अधिकारी है।

अत :तनकी सं0 1 व 2 दोनों वादिया के पक्ष में एवं प्रतिवादी राजकुमार के विरूद्ध तय की जाती है।

तनकी सं0 3 : इस तनकी को साबित करने का भार भी वादिया पर है। चूंकि उपरोक्त दोनों तनकीयात वादिया के पक्ष में साबित है एवं वाद कृषि भूमि में वादिया के अधिकार भी स्पष्ट हो चुके है। इसलिए तनकी सं0 3 पर विवेचना की आवश्यकता ही शेष नहीं रह जाती है। यह तनकी भी स्वतः ही वादिया के पक्ष में साबित है।

हस्तगत प्रकरण में तीन तनकीयात कायम की गई थी जो वादिया के पक्ष में साबित हो चुकी है।

अत : वाद वादिया डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि चक नं0 4 बीआरडब्ल्यु की जमाबन्दी सम्वत् 2068 से 71 के खाता सं0 50/48 के मु0नं0 47 के किला नं0 11 की 0.253 है0 नहरी 0.215 है0 रास्ता 0.038 है0 किला नं0 12, 13, 18, 19 के प्रत्येक किला की 0.253 है0 किला नं0 20 की 0.253 है0 नहरी 0. 215 है0 रास्ता 0.038 है0 किला नं0 21 की 0.253 है0 नहरी 0.215 है0 रास्ता 0.038 है0 किला नं0 22–23 प्रत्येक की 0.253 है0 और मु0नं0 52 के किला नं0 1 की 0.253 है0 नहरी 0.190 है0 खाला 0.025 है0 रास्ता 0.038 है0 किला नं0 2 की 0.253 है0 नहरी 0.228 है0 खाला 0.025 किला 3 की 0.253 है0 नहरी 0.228 है0 खाला 0.025 है0 किला नं0 8–9 के प्रत्येक किला की 0.253 है0 किलानं0 10 की 0.253 है0नहरी 0. 215 है0 रास्ता 0.038 है0 किला नं0 11 की 0.253 है0 नहरी 0.215 है0 रास्ता 0.038 है0 किला नं0 12, 13, 18, 19 के प्रत्येक किला की 0.253 है0 किला नं0 20 की 0. 253 है0 नहरी 0.215 है0 रास्ता 0.038 है0 किला नं0 21 की 0.253 है0 नहरी 0.215 है0 रास्ता 0.038 है0 किला नं0 22–23 के प्रत्येक किला की 0.253 है0 मु0नं0 53 के किला नं0 3 की 0.253 है0 नहरी 0.228 है0 खाला 0.025 है0 किला नं0 4 की 0.253 है0 नहरी 0.228 है0 खाला 0.025 है0 किला नं0 5 की 0.253 है0 नहरी 0.228 है0 खाला 0.025 है0, किला नं0 6 ता 8, 13 ता 17, 24 , 25 के प्रत्येक किला की 0.253 है0 मु0नं0 59 के किला नं0 4 ता 7, 14 ता 17 के प्रत्येक किला की 0.253 है0, किला नं0 24 की 0.253 है0 नहरी 0.240 है0रास्ता 0.013 है0 किलानं0 25 की 0.253 नहरी 0.240 है0 रास्ता 0.013 है0 मु0नं0 60 के किला नं0 1 की 0.253 है0 नहरी 0.215 है0 रास्ता 0.038 है0 किला नं0 2, 3 के प्रत्येक किला की 0.253 है0 किला नं0 8 की 0. 253 है0 नहरी 0.240 है0 रास्ता 0.013 है0 किला नं0 9 की 0.253 है0 नहरी 0.240 है0रास्ता 0.013 है0 किला नं0 10 की 0.253 है0 नहरी 0.202 है0 रास्ता 0.051 है0 किला नं0 11 की 0.253 है0 नहरी 0.215 है0 रास्ता 0.038 है0 किला नं0 12, 13, 18, 19 के प्रत्येक किला की 0.253 है0 किलानं0 20 की 0.253 है0 नहरी 0.215 है0 रास्ता 0.038 है0 किला नं0 21 की 0.253 है0 नहरी 0.215 है0रास्ता 0.038 है0 किला नं0 22, 23 के प्रत्येक किला की 0.253 है0 कुल 15.686 है0 नहरी 14.977 है0 खाला 0.150

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) ... (जिला-हनुमानगढ़)

है0 रास्ता 0.559 है0 कृषि भूमि भगतराम, देवीलाल, बनवारी, रामजीलाल, बृजलाल पि0 श्रीचन्द 5/6 हिस्सा ब0हि0ब0 और वादीया एवं प्रतिवादी सं0 2 ता 6 और राजकुमार पि0मु0 महावीर के नाम 1/6 हिस्सा बहिस्साबराबर राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में से प्रतिवादी सं0 1 राजकुमार का नाम कलमजन किया जाकर वादिया 1/12 हिस्सा, प्रतिवादिया सं0 2 ता 6 प्रत्येक 1/60–1/60 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त वादिया के नाम 1/12 हिस्सा व प्रतिवादिया सं0 2 ता 6 प्रत्येक के नाम 1/60–1/60 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे एवं प्रतिवादी सं0 1 राजकुमार का नाम राजस्व रिकार्ड से कलमजन किया जावे। खर्चा उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 28/7/18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़

(राजकुमार कस्वा)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ़